महात्मा गांधी नरेगा अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा)

क्र. एफ 21(62)ग्रावि/नरेगा/विविध/2018 जयपुर, दिनांक : 12 AUG 2019

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम,
समस्त राजस्थान।

विषयः **महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत भारत सरकार के स्तर से जारी मास्टर परिपत्र वित्तीय वर्ष 2019–20 के अनुसार सामग्री उपापन संबंधी निर्देशों में संशोधन बाबत।**

संदर्भः **भारत सरकार का मास्टर परिपत्र 2019–20 एवं इस विभाग पत्र दिनांक 18.06.2019**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के पत्र दिनांक 18.06.2019 के क्रम में लेख है कि जिला जालौर, भरतपुर, करौली, बून्दी, कोटा, झालावाड, राजसमंद, नागौर, टोंक आदि तथा सरपंच संघ से प्राप्त पत्रों/ज्ञापनों में भारत सरकार द्वारा जारी मास्टर परिपत्र वर्ष 2019–20 में आवश्यक संशोधन की मांग की गई। अतः उक्त पत्रों/ज्ञापनों के क्रम में प्रशासनिक स्तर पर की गई समीक्षा के उपरांत निम्नानुसार संशोधित दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1. मास्टर परिपत्र के बिन्दु संख्या 7.1.7 (सी) में पंचायत समिति स्तर पर समेकित निविदा के संबंध में होने वाली कठिनाईयों को देखते हुए यह निर्देशित किया जाता है कि योजनान्तर्गत सामग्री क्रय हेतु पंचायत समिति स्तर पर निविदा का निष्पादन ग्राम पंचायतवार किया जावेगा। अर्थात पंचायत समिति स्तर पर पूर्व की भांति ग्राम पंचायतवार ही निविदा आमंत्रित की जावेगी लेकिन उक्त निविदा का ग्राम पंचायतवार, निष्पादन एवं अनुमोदन पंचायत समिति स्तर पर विकास एवं कार्यक्रम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। निविदा अनुमोदन समिति में लेखा एवं तकनीकी सदस्यों के साथ–साथ संबंधित ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी को भी सदस्य बनाया जावेगा। विकास एवं कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय द्वारा अनुमोदित की गई दरों पर संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा सामग्री का क्रय किया जावेगा।
2. जिन ग्राम पंचायतों के लिए निविदा का नियमानुसार अनुमोदन इस विभाग द्वारा जारी उक्त पत्र दिनांक 18.06.2019 से पूर्व ग्राम पंचायत स्तर पर किया जा चुका है, उन निविदाओं को वर्ष 2019–20 के लिए यथावत् रूप में लागू माना जाएगा तथा यदि किसी ग्राम पंचायत से संबंधित निविदा आमंत्रित की जा चुकी है, लेकिन अभी तक अनुमोदित नहीं की गई है तो उक्त निविदा का अनुमोदन पंचायत समिति के स्तर पर उपरोक्तानुसार कराया जावे। वर्ष 2020–21 के लिए निविदाओं का आमंत्रण एवं अनुमोदन भारत सरकार के निर्देशानुसार पंचायत समिति स्तर से ही किया जावेगा।
3. विभागीय पत्र दिनांक 18.06.2019 के अन्य निर्देश यथावत रहेंगे।

उक्त निर्देश भारत सरकार से अनुमोदन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे है। कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर निविदा प्रक्रिया शीघ्र सम्पन्न कराया जाना सुनिश्चित करावें।

भवदीय,

(पी.सी. किशन)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
4. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
5. परियोजना अधिकारी (लेखा), ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ, जिला परिषद, समस्त।
6. विकास एवं कार्यक्रम अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त राजस्थान।

वित्तीय सलाहकार, ईजीएस

Scanned by CamScanner